

राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-3/1, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाइन रेल्वे फाटक के पास, जयपुर 302005

क्रमांक:-एफ.1(7)(02029)डीपीसी/सान्याअवि/2026/

जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

::आदेश:-

राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा के ग्रुप "बी" के परिवीक्षा अधिकारी एवं समकक्ष तथा सामाजिक सुरक्षा अधिकारी के पद की वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के विरुद्ध पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 12.05.2026 को राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर में आयोजित की गई।

विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा वर्ष 2024-25 की रिक्तियों के लिये राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा ग्रुप "सी" के छात्रावास अधीक्षक-प्रथम (एल-10) से राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा ग्रुप "बी" परिवीक्षा अधिकारी एवं समकक्ष (एल-11) के पद पर वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर निम्नानुसार राजसेवक को उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से पदोन्नति चयन की अभिशंषा किये जाने के फलस्वरूप निम्नानुसार नियमित पदोन्नति प्रदान की जाती है।

वर्ष 2024-25				
क्र.सं.	नाम कार्मिक	वर्ग	पदोन्नति हेतु चयन दिनांक	विशेष विवरण
01	श्री सत्यवीर सिंह	UR	01-04-2024	-
02	श्रीमती रेखा कुमारी	UR	01-04-2024	-

उपरोक्त कार्मिक पदोन्नत पद पर वर्तमान पदस्थापित स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर रिपोर्ट निदेशालय को प्रस्तुत करेंगे, इनको पदोन्नति का वास्तविक नकद लाभ कार्यभार ग्रहण दिनांक से देय होगा। पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

(ललित कुमार)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-एफ.1(7)(02029)डीपीसी/सान्याअवि/2026/

जयपुर दिनांक:-यथा ई-हस्ताक्षरित

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग राज0, जयपुर।
2. निजी सचिव, अति. मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज0 जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान, अजमेर।
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, शासन सचिवालय राज0 जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, विशेष योग्यजन/बाल अधिकारिता विभाग, जयपुर।
6. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
7. निजी सचिव, अतिरिक्त निदेशक (सत0 एवं प्रशा0), सान्याअवि, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक/उपनिदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी एवं समकक्ष/सामाजिक सुरक्षा अधिकारी सान्याअवि.....।
9. संयुक्त निदेशक (आई.टी) को ई-मेल/वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु।
10. संस्थापन प्रशाखा (पी-1/पी-2) मुख्यावास को आवश्यक कार्यवाही हेतु/
11. संबंधित अधिकारी श्री/सुश्री/श्रीमती।
12. व्यक्तिगत पत्रावली श्री।
13. आदेश पत्रावली।

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव